

छावनी परिषद कार्यालय, अजमेर
राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के पास,
अजमेर, पलटन बाजार अजमेर
राजस्थान -305001
दूरभाष : 0145-2420592
Email/ई मेल: ceojme-stats@nic.in



Cantonment Board, Ajmer
Near Rashtriya Military School,
Ajmer, Paltan Bazar, Ajmer
Rajasthan-305001

Telephone: 0145-2420592

Website/वेबसाइट: <http://cbajmer.org.in/>




रक्षा सम्पदा संगठन
Uetence Estates Organisation


No. III/18/CAC/Auction/2020-21/ID-1583/49

दिनांक : 03 जुलाई, 2020

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अजमेर छावनी में पड़ी लगभग 75 क्विंटल जलाऊ लकड़ी जो कि कार्यालय परिसर के पीछे पड़ी है, जिसकी खुली नीलामी दिनांक 10.07.2020 समय 1230 बजे जहां है, जैसी है, के आधार पर की जावेगी। उक्त नीलामी की अरनेस्ट मनी रूपये 2100/- में नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व जमा करानी होगी। जिस बोलीदाता पर, छावनी परिषद अजमेर का कोई टैक्स या छावनी परिषद अजमेर का कोई बकाया होगा, नीलामी में भाग नहीं ले सकेगा। उपरोक्त वर्णित नीलामी से संबंधित शर्तें एवं अन्य अंतरण संबंधित जानकारी नीलामी की दिनांक से पहले छावनी परिषद अजमेर कार्यालय में एवं छावनी परिषद अजमेर की वेबसाइट www.cbajmer.org.in पर देखी जा सकती हैं।




(अरविन्द कुमार नेमा, भा.रं.सं.से.)
मुख्य अधिशाषी अधिकारी
अजमेर छावनी।


प्रतिलिपि :


01. समस्त नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
02. LAO नसीराबाद।
03. श्री जतिन कश्यप,
कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल),
छावनी परिषद, अजमेर।
04. श्री शैलेन्द्र कुमार सारस्वत,
सहायक प्रोग्रामर,
छावनी परिषद, अजमेर।

- कृपया दिनांक 10.07.20 को प्रातः 1230 बजे अपना प्रतिनिधि भेजें।
- कृपया उक्त तिथि एवं समय पर खुली नीलामी करवाये।
- छावनी परिषद, अजमेर की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु। (नियम एवं शर्तें संलग्न)

नियम एवं शर्ते

01. नीलामी में भाग लेने वाले आवेदक को रूपये 2100/- अरनेस्ट मनी, प्रारंभ होने से पूर्व नगद में जमा करानी होगी। अधिकतम बोलीकर्ता को छोड़कर अन्य सभी की अरनेस्ट मनी वापस कर दी जायेगी।
02. भाग लेने वाले व्यक्ति को अपना आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि जमा करानी होगी।
03. जलाऊ लकड़ी जहां है, जैसी है के आधार पर है अतः बोलीकर्ता अपनी बोली लगाने से पहले सुनिश्चित करे ले की उनसे लकड़ियां भली-भाती देख ली है।
04. सफल बोलीकर्ता को, अधिकतम बोली का 25 प्रतिशत तुरन्त तथा शेष 75 प्रतिशत राशि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के तीन दिवस में जमा करने के पश्चात् 01 सप्ताह के अन्दर लकड़ियां, स्वयं के खर्चे पर, स्थल से हटाना होगी।
05. लकड़ियां उठाने/हटाने एवं ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि सभी खर्चे/व्यवस्था सफल बोलीकर्ता की ही होगी।
06. सफल बोलीकर्ता सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित समय सीमा में लकड़ियां हटाई जाये तथा इस दौरान शासकीय सम्पति को कोई नुकसान नहीं हो। यदि शासकीय सम्पति को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कुल बोली की 10 प्रतिशत की सुरक्षा निधि में से की जावेगी।
07. लकड़ियां हटाने एवं पूरी प्रक्रिया में अंतिम निर्णय छावनी परिषद, अजमेर का होगा एवं उच्च बोलीकर्ता/अन्य सभा को मान्य होगा।




(अरविन्द कुमार नेमा, भा.रं.सं.से.)
मुख्य अधिशाषी अधिकारी
अजमेर छावनी।